



Government of India
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Regional Office, Lucknow



केन्द्रीय भवन, ग्यारवां तल, सेक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan, 11th Floor, Sector H, Aliganj, Lucknow-226024, Phone No : 0522-2326696
Email : roc.lko-mef@nic.in, goimcofrolko@gmail.com

पत्र सं० : 8बी/यूपी०/०६/१८०/२०२३/एफ.सी. / 5301

दिनांक : 04.03.2024

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/ROAD/146875/2021

विषय: सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० ०.००० से ३८.८५३ तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित २८.७०७ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक १५४९ वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित ८.२८ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक १२०० वृक्षों के पातन अर्थात् कुल ३६.९८७ हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक २७४९ वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ: मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक १९५८/११-सी-FP/UP/ROAD/146875/2021, दिनांक ०७.०२.२०२४।
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सचिव (वन), उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक पी-२४०/८१-२-२०२३-८००(२३९)/२०२३, दिनांक ०४.०९.२०२३ का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, १९८० की धारा(२) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकरण को दिनांक १५.०२.२०२४ को आहूत की गयी क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) की बैठक में Agenda Item No. ३.९ (UP) सम्मिलित किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) ने प्रस्ताव को विभिन्न प्रेक्षाओं के अभाव में आस्थगित (defer) कर दिया है।

क्षेत्रीय सशक्त समिति (REC) के निर्णयानुसार मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक जानकारी/सूचना परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. KML files of CA patches needs to be resubmitted after proper verification.

भवदीय,

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉफ), वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, १७, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ०प्र०।
3. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
4. अधिषासी अभियंता, एन०एच० डिवीजन, लोक निर्माण विभाग, कानपुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्रणय मिश्रा)

सहायक वन महानिरीक्षक {केन्द्रीय}

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- २२२२ /११-सी-FP/UP/Road/146875/2021, लखनऊ, दिनांक: मार्च ०५, २०२४

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्ति का निराकरण कर वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिषासी अभियन्ता, एन०एच० डिवीजन, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।